यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत, अल्मोड़ा के माह 03.2012 से 09.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन डा0 सतीश पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.10.2018 से 11.10.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायों जैसे इलेक्ट्रिशियन आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे रानीखेत क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2012-13	0.00	0.00	17.86	17.60	12.88	12.84	-	0.30
2	2013-14	0.00	0.00	21.99	18.80	3.64	3.04	-	3.78
3	2014-15	0.00	0.00	24.40	19.11	12.27	8.52	-	8.99
4	2015-16	0.00	0.00	22.19	21.48	8.84	7.44	-	2.11
5	2016-17	0.00	0.00	30.65	17.39	11.35	9.66	-	14.95
6	2017-18	0.00	0.00	36.02	18.52	11.25	10.16	-	18.59
7	2018-19	0.00	0.00	19.33	8.19	11.24	6.25	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ(ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत, अल्मोड़ा

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03/2012 से 09/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत, अल्मोड़ा** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2018, 02/2018 एवं 02/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:1- विवेकपूर्ण निर्णय के अभाव मे धनराशि रु 16.71 लाख का उपकरणो एवं मशीनों पर व्यय किए जाने के बावजूद उद्देश्य की पूर्ति न होना एवं वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना धनराशि रु 11.70 लाख के व्यय का प्रकरण पाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम 2008 के अनुसार अधिप्राप्ति प्रक्रियाओ मे पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखो की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए। कार्यालय प्रधानाचार्य, आईटीआई, रानीखेत की लेखापरीक्षा मे वित्तीय वर्ष 2012-13 की बजट पत्रावली की जांच की गयी, जिसमे लेखाशीर्ष 2230-03-003-09 के अंतर्गत मानक मद-26 'मशीन और साज-सज्जा/उपकरण' मे रु 11.70 लाख आबंटन के सापेक्ष रु 11.70 लाख का व्यय पाया गया। जांच मे पाया गया कि संबन्धित व्यय इस प्रतिबंध के अधीन किया जाना अनुमन्य था कि " धनराशि व्यय करते समय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियम 2008 के अनुसार ही प्रक्रिया व्यवस्थानुसार सुनिश्चित की जाए एवं व्यय करते समय टेंडर/कोटेशन आदि विषयक नियमो एवं उक्त संबंध मे वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए" जबकि संबन्धित टूल्स एवं मशीनों हेतु धनराशि रु 11.70 लाख का व्यय बिना कोई क्रय प्रक्रिया अपनाए इकाई द्वारा किया गया। नमूना जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निविदा प्राप्त कर न्यूनतम दर के आधार पर क्रय किया जाना अर्थात क्रय प्रक्रिया अपनाने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति के परिधि फर्म को भुगतान का प्रमाण पत्र जारी किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण पाया गया क्योकि संबन्धित क्रय आदेश निदेशालय स्तर से जारी किए गए थे जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा निदेशालय से बिना अधिप्राप्ति अभिलेखो को प्राप्त किए फ़र्म को भुगतान किया गया तथा टूल्स एवं मशीनों के installation, Demonstration, erection, commission आदि कार्य पूर्ण किया बिना फर्म को भुगतान किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि, उक्त टूल्स एवं मशीन वर्ष 2012-13 मे व्यवसाय विद्धुतकार के उपयोगितार्थ क्रय किए गए थे एवं वर्ष 2014 से उपनल अनुदेशक तैनात होने के बावजूद भी संबन्धित टूल्स एवं मशीनों का उपयोग वर्तमान तक नही किया गया अर्थात संस्थान मे नियमित अनुदेशक की तैनाती नही होने के कारण प्रयोजन के इतर विगत 5 वर्षो से धनराशि रु 11.70 लाख के टूल्स एवं मशीन निष्क्रिय/अक्रियाशील अवस्था मे पाये गए। संस्थान अपनी स्थापना वर्ष 1986 से किराए के भवन मे संचालित किया जा रहा है एवं संस्थान मे पर्याप्त स्थान नही होने के कारण भविष्य मे विद्धुतकार व्यवसाय के एनसीवीटी मान्यता प्राप्त कर संबंधता प्राप्त करना नगण्य पायी गयी। निदेशालय द्वारा जारी क्रय आदेशो मे मात्र एक मुश्त धनराशि का भुगतान किए जाने का वर्णन पाया गया जबकि मशीनों एवं उपकरणो से संबन्धित कोई इनवेंटरी/ सूची (जिसमे item wise भुगतान का विवरण हो जो निदेशालय से अनुमन्य हो) का रखरखाव भी इकाई द्वारा नही किया गया एवं

उपकरणो एवं मशीनों संबन्धित कोई निरीक्षण रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन/shortage/कमी रिपोर्ट/ technical verification रिपोर्ट आदि लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पायी गयी। इसी प्रकार वर्ष 2002-03 मे इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय हेतु धनराशि रु 5.01 लाख के टूल्स एवं मशीनें जो वर्ष 2014 से समाप्त किए जाने के बाद से स्टॉक मे निष्क्रिय/अक्रियाशील पड़े हुये है एव दिन प्रतिदिन depreciate हो रहे है, को विभागीय उदासीनता के कारण विगत 4 वर्षो से उपयोग हेतु किसी अन्य संस्थान हेतु सम्बद्ध नही किए गए।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि संबन्धित धनराशि की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की गयी इकाई स्तर से मात्र बिलो का भुगतान सुनिश्चित कराया गया एवं वर्ष 2014 से संस्थान मे मात्र व्यवसाय विद्धुतकार की संस्तुति की गयी थी एवं संबंधित धनराशि व्यवसाय विद्धुतकार हेतु व्यय की गयी, जनवरी 2014 से अनुदेशक उपनल के माध्यम से रखे जाने के कारण उक्त धनराशि के टूल्स एवं मशीनें अनुदेशक को जारी नही की गयी, टूल्स एवं मशीन अनुदेशक को जारी नही किए जाने के कारण उपयोग मे नही लाये जा सके तथा व्यवसाय इलेक्ट्रोनिक वर्ष 2014 से संचालित नही किया जा सका क्योंकि वर्ष 2014 से व्यवसाय संचालन की अनुमति प्रदान नही की गयी। अतः संबन्धित उपकरण स्टॉक मे पड़े है।

उत्तर मान्य नही है, क्योकि अधिप्राप्ति नियमो की अनदेखी कर इकाई द्वारा बिना क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित किए धनराशि व्यय की गयी एवं संस्थान मे स्थान अभाव होने के कारण एवं इकाई के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण धनराशि रु 11.70 लाख के उपकरणो एवं मशीनों का प्रयोजन प्रभावित कर टूल्स एवं मशीनों को 5 वर्षो से निष्क्रिय/अक्रियाशील किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर:1- अनियमित व्यय रु 1.31 लाख।

कार्यालय प्रधानाचार्य, आईटीआई, रानीखेत की लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2015-16 की बजट पत्रावली की जांच की गयी, जिसमे लेखाशीर्ष 2230-03-003-02-01 के अंतर्गत मानक मद-12 ' कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण' मे रु 1.48 लाख आबंटन के सापेक्ष रु 1.31 लाख का व्यय पाया गया।

जांच मे पाया गया कि बजट का आबंटन फर्नीचर एवं उपकरण मद से संबन्धित सामग्रियों के क्रय के लिए किया गया था, परंतु प्रयोजन के विपरीत धनराशि का व्यय कंप्यूटर सामग्री एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणो के क्रय पर किया जाना पाया गया। जो शासकीय दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमन्य नही था क्योंकि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अंतर्गत कार्यालय मशीन जैसे टाइपराइटर, फोटोकॉपियार फैक्स का क्रय अनुमन्य पाया गया। कम्प्यूटर सामाग्री एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो के लिए कार्यालय मे पृथक से मद संचालित होने के बावजूद फर्नीचर मद का प्रयोजन प्रभावित पाया गया।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि निदेशालय के निर्देश पर कार्यालय फर्नीचर मद से कंप्यूटर सामग्री एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण क्रय किए गए। क्रय कोटेशन की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की गयी।

उत्तर मान्य नहीं, क्योकि उत्तराखण्ड बजट मैनुयल 2012 के पैरा -93 के अनुसार प्रयोजन की राशि को अन्य प्रयोजन पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी (वित्त विभाग) की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, परंतु विषयक कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने मे इकाई असफल रही।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
----------प्रथम लेखापरीक्षा----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
----------प्रथम लेखापरीक्षा----------						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री पी के धारीवाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ रानीखेत, अलमोड़ा	लेखापरीक्षा अवधि से 23.05.2012 तक
श्री जे पी टमटा	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ रानीखेत, अलमोड़ा	24.05.2012 से 30.12.2015 तक
श्री राजेश कुमार	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ रानीखेत, अलमोड़ा	31.12.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.